



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2021/352

दिनांक :- 01/07/2021

संस्था सचिव,  
निजी महाविद्यालय  
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाईन आवेदन करने के लिए NOC पोर्टल पुनः खोलने के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2021-22 हेतु पूर्व में NOC पोर्टल दिनांक 17.02.2021 से 31.03.2021 तक खोला गया था। उक्त अवधि में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रही संस्थाओं को सत्र 2021-22 के लिए समस्त प्रकरणों बाबत आवेदन करने हेतु दिनांक 05.07.2021 से 19.07.2021 तक पुनः अवसर एतद् द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रकरण अनुसार निर्धारित शुल्क की तालिका संलग्न है।

सत्र 2021-22 हेतु पूर्व में ऑनलाईन आवेदन कर चुकी संस्थाएँ भी यदि किसी प्रकरण के लिए पुनः आवेदन करना चाहती है तो इन संस्थाओं को भी संलग्न शुल्क तालिका अनुसार नवीन शुल्क चालान सहित ऑनलाईन पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

सत्र 2021-22 हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का यह अन्तिम अवसर है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(संदेश नायक, IAS )

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपी:-

- 1- वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।
- 2- नोडल प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय को भेज कर लेख है कि ऐसी संस्थाएँ जिन्होंने उक्त आदेशानुसार किसी प्रकरण हेतु पुनः आवेदन किया है तो उनके लिए निरीक्षण पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार पुनः किया जाएगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट पुनः प्रेषित करनी होगी।

(डॉ अल्पना व्यास )  
संयुक्त निदेशक (नि.सं.)  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

आवेदन शुल्क

क्र.सं.	प्रकरण	आवेदन शुल्क (रूपयों में)
1	नवीन महाविद्यालयों के लिये (समस्त विषय/ संकाय स्नातक स्तर)–	
	(क) सहशिक्षा महाविद्यालय	1,25,000
	(ख) महिला महाविद्यालय	75,000
	(ग) उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र (निजी महाविद्यालय नीति 2021 –22 के परिशिष्ट– 2 )	75,000
	(घ) आरक्षित विधानसभा क्षेत्र (निजी महाविद्यालय नीति 2021 –22 के परिशिष्ट–3,4)	75,000
2	अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अभिवृद्धि/ स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र ( प्रत्येक प्रकरण के लिए )	1,05,000
3	सहशिक्षा परिवर्तन/ महिला शिक्षा परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/ प्रबन्ध अन्तरण (प्रत्येक प्रकरण के लिए)	75,000
4	पूर्व संचालित महाविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/ विषयों हेतु आवेदन	75,000
5	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन	75,000
6	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन प्रति विषय हेतु आवेदन	30,000 प्रति विषय एवं रूपयें 25000 / – विलम्ब शुल्क
7	निरीक्षण शुल्क– स्थायी / अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष	60,000
8	संविलयन ( Merger ) हेतु आवेदन	75,000